न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/37/2015	05–10–2015	13–08–2019

1– अशोकदास चेला रामकंवार दास जाति दास निवासी ग्राम रामनगर पोस्ट शाहपुर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।

–अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार बानसूर जिला अलवर।

–रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बानसूर इंतकाल संख्या 786 वाके ग्राम शाहपुर दिनांक 30.07.2015

उपस्थितः–

01. श्री अनिल गुप्ता –वकील अपीलान्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 30.07.2015 जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 786 वाके ग्राम शाहपुर तहसील बानसूर जिला अलवर बेजा तौर पर निरस्त किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि एक प्रा0पत्र अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अंतर्गत धारा 133 एलआरएक्ट 1956 पेश कर निवेदन किया गया कि इंतकालाधीन आराजी खसरा नम्बर 1644, 1645 ग्राम शाहपुर तहसील बानसूर खातेदार काश्तकार रामकंवार दास चेला सरजू दास कौम स्वामी थे। जिनकी मृत्यु दिनांक 31.01.2015 को हो चुकी है। जिसका विरासत इंतकाल अपीलांट के नाम खोला जावें। जिस पर अपीलाधीन इंतकाल सं. 786 वाके ग्राम शाहपुर खोला जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2015 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि हाल खसरा नम्बर 1644, 1645 जिसके साबिक खसरा नम्बर जमाबंदी संवत् 2013 में 817 थे जो मंदिर माफी के खाते में दर्ज है। मंदिर माफी का हस्तानांतरण अवैध है तथा वारिसान की जांच गुरू के शिष्य के रूप में की गई है। जिसके खिलाफ अपील पेश की गई है। विवादित आराजी के संवत् 2029 के अनुसार सरजू दास चेला सुखराम कौम स्वामी साकिन देह खातेदार काश्तकार थे। जिसकी विरासत का इंतकाल नं. 483 उनके चेले रामकंवार दास के नाम दिनांक 11.05.1989 को स्वीकार किया, उसी के अनुसार रामकंवार दास के विरासत का इंतकाल उसके चेले अपीलांट के नाम अमल दरामद किया जाना न्यायहित में आवश्यक था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साबिक रिकॉर्ड के अनुसार इंतकाल सं. 786 खारिज किया गया है। आदेश इंतकाल सं. 786 के खातेदार काश्तकार मिन अपीलांट के गुरू रामकंवार थे। जिनकी मृत्यु के बाद विरासत इंतकाल अपीलांट के नाम खोला जाना चाहिए था। इंतकाल की कार्यवाही फिस्कल प्रोसिडिंग है। जिससे खातेदारी अधिकार तय नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम पंचायत शाहपुर द्वारा भी अशोक दास के हक में रामकंवार दास के विरासत के बाबत प्रमाण–पत्र पेश किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उस पर भी कोई गौर नहीं

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अलवर (राज0)

किया गया। अपीलांट द्वारा विरासत इंतकाल अपने हक में दर्ज करने के लिए पटवारी हल्का को प्रा0पत्र पेश किया। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट को बताया गया कि विरासत इंतकाल दर्ज कर आपको सूचित कर दिया जावेगा। जिस पर मिन अपीलांट द्वारा दिनांक 15.09.2015 को पटवारी हल्का से इंतकाल की जानकारी की तो अपीलांट को जानकारी मिली कि अपीलाधीन इंतकाल खारिज कर दिया गया है। मिन अपीलांट द्वारा आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया। आदेश की नकल दिनांक 22.09.2015 को प्राप्त हुई। बिना देरी के अपील पेश कर दी गई। अपीलांट द्वारा पृथक से दफा 5 मियाद अधिनियम प्रा.पत्र पेश किया गया हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार बानसूर का आदेश दिनांक 30.07.2015 बाबत इंतकाल सं. 786 अपास्त फरमाया जाकर रामकंवार दास का इंतकाल मिन अपीलांट के हक में स्वीकार करने के आदेश फरमाये जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न मूल इंतकाल के अवलोकन से स्पष्ट है कि हाल खसरा नम्बर 1644, 1645 जिनके जमाबंदी संवत् 2013 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 817 है। जो मंदिर माफी के खाते में दर्ज है। मंदिर माफी की आराजी को दीगर व्यक्ति के नाम अवैध हस्तानांतरण की श्रेणी में आता है। तहसीलदार बानसूर द्वारा किये गये निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 13–08–2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)